

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1738]

नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 13, 2016/आ"काढ़ 22, 1938

No. 1738]

NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 13, 2016/ASADHA 22, 1938

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

(सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 जुलाई, 2016

का.आ. 2384(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 3 के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नीचे दी गई अनुसूची में यथा-विनिर्दिष्ट भूमि के खंड के संबंध में आंध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग-18 के एल. सी. सं. 23 के स्थान पर किमी 3/800, एल. सी. सं. 18 के स्थान पर किमी 7/800, एल. सी. सं. 14 के स्थान पर किमी 12/600, और एल. सी. सं. 120 के स्थान पर किमी 56/8 पर आरओबी के निर्माण के लिए कथित अनुसूची के क्रमशः स्तंभ (4), स्तंभ (5), स्तंभ (6) और स्तंभ (7) में उल्लिखित जिला, तालुक, पुलिस थाना और गाँवों से संबंधित कथित अनुसूची के स्तंभ (3) की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट भू-खंड के संबंध में इस अधिसूचना के शासकीय राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से उक्त अधिनियम के अंतर्गत उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) में उल्लिखित अधिकारियों को कार्य निष्पादन के लिए एतद्वारा सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत करती है।

अनुसूची

आंध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग-18 के एल. सी. सं. 23 के स्थान पर किमी 3/800, एल. सी. सं. 18 के स्थान पर किमी 7/800, एल. सी. सं. 14 के स्थान पर किमी 12/600, और एल. सी. सं. 120 के स्थान पर किमी 56/8 पर आरओबी के निर्माण के लिए ढांचों सहित अथवा ढांचों के बिना अधिग्रहीत की जाने वाली भूमि का संक्षिप्त विवरण

क्र. सं.	सक्षम प्राधिकारी	भूमि खण्ड	जिला	तालुक	पुलिस थाना	गांव का नाम
1	संयुक्त कलेक्टर, चित्तूर	3/800	चित्तूर	चित्तूर	चित्तूर	तिम्मासमुद्रम मुरुकम्बट्टु
		7/800		पाथलापट्टु	पाथलापट्टु	मुतीरेवुला
		12/600		पाथलापट्टु	पाथलापट्टु	वाविलीटोटा ओडुपल्ली
2	उप-कलेक्टर, मदनपल्ली	56/800		पिलेरु	पिलेरु	पिलेरु

[फा. सं. आरडब्ल्यू/एनएच-12014/एपी(18)एलए/2016-एस एंड आर(बी)]

राजेश गुप्ता, उप सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

(Department of Road Transport and Highways)

NOTIFICATION

New Delhi, the 4th July, 2016

S.O. 2384(E).—In exercise of the powers conferred by clause (a) of section 3 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), The Central Government hereby authorizes the officers mentioned in column (2) of the schedule annexed hereto as the competent authority to perform the functions of such authority under the said Act with effect from the date of publication of this notification in the official Gazette, in respect of the stretch of land specified in the corresponding entry in column (3) of the said schedule relating to district, taluk, police station and villages mentioned in column (4), (5), (6), and (7) **for construction of ROBs at Km 3/800 in lieu of LC No. 23, at Km 7/800 in lieu of LC No. 18, at km 12/600 in lieu of LC no. 14 and at km 56/8 in lieu of LC No. 120 of National Highway No. 18 in the state of Andhra Pradesh, as specified in the Schedule given below.**

SCHEDULE

Acquisition of land in respect of for construction of ROBs at Km 3/800 in lieu of LC No. 23, at Km 7/800 in lieu of LC No. 18, at km 12/600 in lieu of LC no. 14 and at km 56/8 in lieu of LC No. 120 of National Highway No. 18 in the state of Andhra Pradesh.

Sl No.	Competent Authority	Stretch of Land	District	Taluk	Police Station	Name of Village
1	Joint Collector, Chittoor	3/800	Chittoor	Chittoor	Chittoor	Thimmasamudram Murukambattu
		7/800		Putalapattu	Putalapattu	Mutirevula
		12/600		Putalapattu	Putalapattu	Vavilitota Oddipalli
2	Sub-Collector, Madanapalli	56/800		Pileru	Pileru	Pileru

[F. No. RW/NH-12014/AP (18)LA/16-S&R (B)]

RAJESH GUPTA, Dy. Secy.